

01 MAY 2016

महान्यायिक अधिकारी
लोहमार्ग न्यायालय, लोनी

परिवाद-पत्र

30000 1329
16

मा.न्यायदण्डाधिकारी से प्रथमवर्ग लोहमार्ग न्यायालय दौण्ड की सेवा में सविनय सादर

01. RPF थाना :- लोनी
02. मामला रजि.क्रमांक :- 395 /2016
03. धारा :- 144(1) रेल अधिनियम
04. घटना की दिनांक एवं समय :- दिनांक 01/06/2016 को समय करिब 8:10 से 8:40 बजे
05. घटनास्थल :- TMO 17032 ई.ए. एक फेसबुक से 39000 बी.पी
06. फरियादी का नाम व पता :- आ.ए.ए. 0800381 ए.आर. माने RPF/थाना/लोनी
07. संलिप्त व्यक्ती का नाम व पता :- 213/18 5/0 विभाजित 3 म 18 वर्ष
पता - पानसे वस्ती, गोदान कि पास, दोंर, मि-पुडा
08. जप्त मुद्देमाल का विवरण :-
09. मा.न्यायालय में हजरि रहने की दिनांक व समय :- दिनांक 01/06/2016 को समय 13:00 बजे
10. जांच अधिकारी का नाम व पता :- बि.डी. पवार ASI/SIFF/RPF/थाना/लोनी
11. घटना की संक्षिप्त हकीकत :- मा. न्यायालय की सिमा एवं रेलवे सुरक्षा बल, थाना, लोनी के कार्यक्षेत्र में दिनांक 01/06/2016 को कॉलम नं. 07 के व्यक्ति व्दाय कॉलम नं. 05 के घटनास्थल पर अनाधिकृत रूप से प्रवेश कर के यंत्रियों के निगमत्वाना पानी बोतल बेचते समय रेल अधिनियम की धारा 144(1) उल्लंघन किया है। कारणवश उक्त व्यक्ती को रेल अधिनियम के तहत "नोटीस" जारी कर उचित कानुनी कार्यवाही होने हेतु मा.न्यायालय के समक्ष उक्त मामला विचारण हेतु पेश किया जा रहा है।

अतः मा. न्यायालय से विनती है कि, उक्त व्यक्ती के विरुद्ध उचित कानुनी कार्यवाही करने की कृपा करके उक्त व्यक्ती के पास से जप्तशुदा माल के निपटारा हेतु आवश्यक आदेश जारी करने की कृपा करें।

संलिप्त व्यक्ती के हस्ताक्षर :-

मे.दु.को.जा.व्हावे.

संलग्न

:- फरियाद, नोटीस

निरीक्षक

आर. पी. एफ. थाना, लोनी
Inspector
R.P.F. Thana, Loni

बंद जमा 2000/-
पावती क्र 0824447

महान्यायिक अधिकारी,
लोहमार्ग न्यायालय लोनी

पेछा गन्हा कयल जाहे

21/5

समक्ष

प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी
लोहमार्ग, दौंड

01 JUN 2016

समक्ष प्रमाणित नमूने वाच. पत्र पुरविलेले
सं. 10. The contents of Plea read as follows
and explained in the manner in which he
understood it. He pleaded guilty for
the Commission of offence P/U/S - 14.4.1973 Act.
Hence he is convicted and Sentenced
to Pay a Fine of Rs. 2000/-
15

Judicial Magistrate
J.M.F.C. (Rly.) Daund.

01 JUN 2016